न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–58/2013–14

उदय कुमार बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
5.4-18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद उदय कुमार, पिता राम प्रसन राय, दाउदपुर, वार्ड सं0 1, थाना–शाहपुर, जिला–पटना जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 08/07(रद्द) ने अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 965(आ0) दिनांक 24.10.13 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश की कंडिका–15 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)–2001 की धारा–11 के अंतर्गत दायर किया है। अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक 31.01.2014 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, अगली तिथि 04.04.2014 निर्धारित की गई। दिनांक 29.01.2015 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। अपीलकर्ता ने अपील आवेदन में अंकित किया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 965 दिनांक 24.10.2013 दिनांक 21.11.2013 को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित था कि अपीलकर्ता की दुकान को पणन पदाधिकारी, दानापुर शहरी के द्वारा दिनांक 06.08.2013 को जांच की गई तथा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित बिन्दुओं पर कारण–पृच्छा की मांग की गई :– (1) बिना सूचना के दुकान बंद पाया जाना। (2) लाभुकों को B.P.L खाद्यान्न पच्चीस किलो ग्राम के स्थान पर तेईस किलो ग्राम दिया जाना। (3) माप तौल का वाट कम होना उपरोक्त बिन्दुओं पर उन्होंने अपना प्रत्युत्तर अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के कार्यालय में समर्पित किया, जिसमें उन्होंने अंकित किया कि दिनांक 06.08.2013 को पत्नी की चिकित्सा हेतु वे दुकान नहीं खोल सके, जिसकी सूचना दूरभाष से पणन पदाधिकारी को भेज दी गयी थी। B.P.L योजना के अंतर्गत कम खाद्यान्न के वितरण के सम्बन्ध में उन्होंने अंकित किया है कि बाईस–पचीस लाभुक उनकी दुकान से सम्बद्ध है, जिनमें से केवल पांच लाभुक अपीलार्थी के विरोध में हैं। उनके द्वारा भी शपथ–पत्र दिया गया हैं कि अपीलकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं का सरकारी निर्धारित मूल्य पर एवं निर्धारित मात्रा में आपूर्ति की गई है, जिसकी प्रतियाँ, अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के कारण–पृच्छा के साथ संलग्न कर समर्पित की गयी है। जहां तक माप–तौल मशीन की बात है तो वह माप–तौल विभाग द्वारा वार्षिक प्रमाणित किया जाता है, जिसका प्रमाण पत्र उनकी दुकान में उपलब्ध है। आरोपकर्ता पांच लाभुकों को छोड़कर शेष लाभूकों द्वारा कोई शिकायत नहीं है। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा उनके कारण पृच्छा पर विचार किए उनकी दुकान को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है, जो न्याय के	

दृष्टि से निरस्त करने योग्य है।

दिनांक 08.03.2016 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में अंकित बातों को दुहराते हुए कहा गया अपीलकर्ता की पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण निरीक्षण की तिथि को दुकान बंद थी, जिसकी सूचना अपीलकर्ता द्वारा पणन पदाधिकारी को दूरभाष पर दी गयी थी। उनका कहना है कि अपीलकर्ता पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद एवं मनगढंत है। उनका कहना है कि जब निरीक्षण के दौरान दुकान बंद थी, तो जाँच पदाधिकारी द्वारा मापतौल मशीन निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने का आरोप कैसे लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी शाहपुर थाना कांड सं0 168/13 (अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम) में अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित साक्ष्य की कमी सम्बन्धी अंतिम प्रतिवेदन को सम्बन्धित न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2017 को ही स्वीकार कर लिया गया है। वर्णित तथ्यों के आलोक में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकार करने का अनुरोध किया।

विशेष लोक अभियोजक पटना का कहना है कि पणन पदाधिकारी, दानापुर शहर द्वारा श्री उदय कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 08/07(रद्द) वार्ड नं0 01 नगर परिषद, दानापुर की दुकान की जांच के दौरान प्रतिवेदित अनियमितताएँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा उक्त के आलोक में अपीलकर्ता द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा पर विचारोपरान्त उनकी अनुज्ञप्ति सं0 08/2007 को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है, जो न्यायसंगत है। उनके द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्क के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 08.03.2018 को "लिस्ट ऑफ डौकमेन्ट" के साथ दायर कागजात के अनुसार अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दानापुर ने शाहपुर थाना कांड सं0 168/13 जी0आर0 नं0 3107/13 में दिनांक 09.08.2017 को अपने पारित आदेश में साक्ष्यहीन होने के कारण अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकृत किया है। अंतिम प्रतिवेदन में अनुसंधान पदाधिकारी ने दिनांक 05.12.2014 को साक्ष्य की कमी का उल्लेख किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश 965(आ0) दिनांक 24.10.2013 को निरस्त करते हुए, वाद को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को सूचना निर्गत कर, सुनने के उपरान्त विधि सम्मत आदेश पारित करें।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

5/4/18

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

5/4/18

समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।